

सं. 11014/11/2026 -राजभाषा (पत्रिका)

भारत सरकार

गृह मंत्रालय, राजभाषा विभाग

सूचना

केंद्र सरकार के मंत्रालयों/विभागों/संगठनों आदि के पुस्तकालयों के लिए 01.01.2025 से 31.12.2025 तक की अवधि में प्रकाशित हिंदी की स्तरीय पुस्तकों की सूची तैयार करना ।

राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय हिंदी की स्तरीय पुस्तकों की एक सूची केंद्र सरकार के मंत्रालयों/विभागों/संगठनों आदि को उनके पुस्तकालयों में क्रय की संस्तुति सहित परिचालित करता है। उपर्युक्त रीति के अनुसार दिनांक 01.01.2025 से 31.12.2025 की अवधि के बीच विभिन्न विषयों पर हिंदी में प्रकाशित स्तरीय पुस्तकों की एक सूची इस विभाग द्वारा संबंधित संगठनों को परिचालित की जानी है।

2. केंद्र सरकार के मंत्रालयों/विभागों/संगठनों आदि के पुस्तकालयों के लिए वार्षिक पुस्तक सूची तैयार करने हेतु पुस्तकों के मूल्यांकन के लिए निर्धारित मानदंड अनुलग्नक -1 एवं अनुलग्नक -2 पर उपलब्ध हैं।

3. समस्त लेखकों, प्रकाशकों, मुद्रकों तथा वितरकों से उत्कृष्ट पुस्तकें आमंत्रित की जाती हैं ।

4. प्रवासी भारतीयों द्वारा प्रेषित पुस्तकें संबंधित भारतीय दूतावास/मिशन के माध्यम से भेजी जानी अपेक्षित हैं। अग्रिम प्रति सीधे राजभाषा विभाग को भेजी जा सकती है। तथापि, भारतीय दूतावास/मिशन के माध्यम से राजभाषा विभाग को प्राप्त होने के बाद ही उन पर विचार किया जाएगा।

5. इच्छुक प्रार्थियों से अनुलग्नक -3 के प्रपत्र और घोषणा पत्र में मांगी गई जानकारी प्रकाशित पुस्तक की एक प्रति के साथ निम्न पते पर भेजने का अनुरोध किया जाता है। केवल ऐसी पुस्तकें जिन्हें दिनांक 01.01.2025 से 31.12.2025 की अवधि के दौरान पहली बार प्रकाशित किया गया है, विचारार्थ पात्र हैं। प्रपत्र के साथ पुस्तक प्राप्त न होने पर पात्रता पर विचार नहीं किया जायेगा।

6. सभी प्रविष्टियाँ निर्धारित प्रपत्र और घोषणा पत्र में वांछित सूचना पूर्ण और स्पष्ट रूप से भरकर दिनांक **15.06.2026** तक यूनिकोड आधारित फॉन्ट (उपयुक्त फॉन्ट से इतर किसी अन्य फॉन्ट में भेजी गई प्रविष्टियों पर विचार नहीं किया जाएगा) में ई मेल patrika-ol@nic.in और निम्नलिखित पते पर भेजें:-

राजेश कुमार श्रीवास्तव,
संयुक्त निदेशक (पत्रिका)
राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय,
चौथा तल, बी विंग, एनडीसीसी-॥ भवन
जय सिंह रोड, नई दिल्ली – 110001
ई-मेल आई डी : patrika-ol@nic.in
वेबसाइट : www.rajbhasha.gov.in


(राजेश कुमार श्रीवास्तव)
संयुक्त निदेशक (पत्रिका)
दूरभाष सं. 23438159

केंद्र सरकार के मंत्रालयों/विभागों/संगठनों आदि के पुस्तकालयों के लिए वार्षिक पुस्तक सूची तैयार करने हेतु पुस्तकों के मूल्यांकन के लिए निर्धारित मानदंड

- i. कतिपय प्रकाशकों द्वारा क्लासिकल/कालजयी कृतियों के नए संस्करण बार-बार प्रकाशित किए जाते हैं; ऐसी पुस्तकों का सामान्यतः चयन नहीं किया जाएगा। तथापि, यदि किसी अन्य प्रकाशक द्वारा उसी कृति का प्रथम संस्करण प्रकाशित किया गया हो, तो उसके चयन पर विचार किया जा सकता है, बशर्ते कि वह कृति अपने मूल स्वरूप में ही प्रकाशित की गई हो। साथ ही, संबंधित प्रकाशक को यह प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा कि कृति की मूल विषय-वस्तु में किसी प्रकार का संशोधन नहीं किया गया है।
- ii. काव्य विधा के अंतर्गत केवल उन कवियों की कृतियों का चयन किया जाएगा, जिनका उल्लेख राजभाषा विभाग द्वारा जारी दिनांक 5.3.1990 के का.ज्ञा. सं. 20034/6/90-O.L. में किया गया है (अनुलग्नक 2)। इसके अतिरिक्त, अन्य कवियों द्वारा रचित प्रबंध काव्य (खण्ड काव्य एवं महाकाव्य) की रचनाएँ भी चयन के लिए विचारणीय होंगी।
- iii. हिंदीतर भाषी क्षेत्रों में स्थित कार्यालयों की विशेष आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए सरल, व्यावहारिक एवं प्रशिक्षणपरक उपयोगी पुस्तकों का चयन किया जाएगा।
- iv. ऐसी पुस्तकों का चयन किया जाएगा जिनकी विषयवस्तु दीर्घकाल तक प्रासंगिक बनी रहे तथा जो संदर्भ ग्रंथ के रूप में निरंतर उपयोगी सिद्ध हों।
- v. केवल वही साहित्यिक कृतियाँ चयनित की जाएंगी जो भारतीय सांस्कृतिक मूल्यों, संवैधानिक मर्यादाओं एवं भाषा-शालीनता के अनुरूप हों, हिंदी भाषा के स्वस्थ एवं सकारात्मक विकास में सहायक हों तथा जिनका मूल्य तर्कसंगत हो।
- vi. किसी भी दृष्टि से विवादित शीर्षक अथवा विषय-वस्तु वाली पुस्तकों का चयन नहीं किया जाएगा।
- vii. नियमानुसार उसी वर्ष में प्रकाशित पुस्तकों पर विचार किया जाएगा, जिस वर्ष की पुस्तक सूची जारी की जा रही है।
- viii. हस्तलिखित/टंकित पुस्तकों पर विचार नहीं किया जाएगा।
- ix. पाठ्य पुस्तकों पर विचार नहीं किया जाएगा।
- x. बाल-साहित्य की श्रेणी में केवल स्तरीय पुस्तकों पर ही विचार किया जाएगा।
- xi. अनूदित पुस्तकों का चयन करते समय यह सुनिश्चित किया जाएगा कि पुस्तक में अनुवादक का नाम स्पष्ट रूप से अंकित हो।
- xii. सभी पुस्तकों के साथ घोषणा-पत्र मँगवाए जाते हैं, तथापि घोषणापत्र में दी गई किसी भी जानकारी के गलत पाए जाने पर संबंधित पुस्तक को अस्वीकृत कर दिया जाएगा।

अध्याय-11

सरकारी प्रकाशनों, हिंदी पत्र-पत्रिकाओं एवं हिंदी पुस्तकों की खरीद

क्रमांक सं० 20034/6/90-रा०भा० (पत्रिका), दिनांक 5 मार्च, 1990

विषय : सरकारी कार्यालयों के पुस्तकालयों में हिंदी पुस्तकों की खरीद।

उपरोक्त विषय पर राजभाषा विभाग के दिनांक 19-6-1974 के कार्यालय ज्ञापन संख्या 11020/21/73-रा०भा० को ओर से ध्यान आकर्षित करने का मुझे निदेश हुआ है, जिसके अंतर्गत अनुदेश दिया गया था कि केंद्र सरकार के मंत्रालयों/विभागों/संबंध एवं अधीनस्थ कार्यालयों/वैकों, उपक्रमों आदि में पुस्तकालयों में पुस्तकों की खरीद संबंधी अनुदान की कम से कम 25% राशि हिंदी पुस्तकों को खरीद पर खर्च की जाए और बाजार में विभिन्न विषयों पर हिंदी में उपयुक्त पुस्तकों के उपलब्ध होने पर वह राशि 50% तक खर्च की जाए। इसके साथ ही वह भी सुझाव दिया गया था कि पुस्तकालयों की चयन/क्रय समिति में हिंदी अधिकारी को सदस्य-सचिव के रूप में रखा जाए।

2. सरकारी कार्यालयों के पुस्तकालयों में हिंदी पुस्तकों की खरीद के लिए राजभाषा विभाग द्वारा समय-समय पर हिंदी में प्रकाशित वैज्ञानिक, तकनीकी, साहित्यिक पुस्तकों की सूचियां जारी की गई हैं। इस विभाग के दिनांक 4 मई, 1988 के कार्यालय ज्ञापन सं० 20034/6/85-पत्रिका एकक के अनुसार पुस्तकों के चयन के लिए दिशा-निर्देश भी जारी किए गए हैं।

3. राजभाषा विभाग के ध्यान में लाया गया है कि कई कार्यालयों आदि में ललित साहित्य की खरीद के नाम पर निम्न स्तर की पुस्तकें खरीदी गई हैं, जो कि किसी भी पुस्तकालय में खरीदी जानी वांछित नहीं हैं। पुस्तकालय अनुदान का उपयोग केवल अच्छे स्तर की पुस्तकों को खरीद हेतु अपेक्षित है। विभाग द्वारा इस बात को बहुत गम्भीरता से लिया गया है और यह निर्णय लिया गया है कि जहाँ तक ललित साहित्य की खरीद का ब्रजन है, राजभाषा विभाग द्वारा समय-समय पर सभी मंत्रालयों/विभागों/कार्यालयों आदि को स्तरीय पुस्तकों की खरीद हेतु सूचियां उपलब्ध कराई जाएंगी तथा ललित साहित्य की खरीद उन्हीं पुस्तक सूचियों तक सीमित रखी जाए। इस विषय में राजभाषा विभाग द्वारा पुस्तक प्रकाशन से संबंधित विभागों, संस्थाओं, साहित्यकारों की समिति गठित की गई है। उक्त समिति द्वारा चयनित पुस्तकों की सूची तथाश्रीं सभी मंत्रालयों/विभागों आदि को भिजवा दी जाएगी।

4. राजभाषा विभाग के अनुसार दिनांक 4 मई, 1988 के कार्यालय ज्ञापन के अनुसार निम्नलिखित प्रकार की पुस्तकें खरीदने का अनुदेश दिया गया है:

- (1) हिंदी में काम करने के लिए संदर्भ ग्रंथ जैसे शब्दकोश, शब्दावली; विभाग/कार्यालय के काम से संबंधित विषयों पर लिखी हिंदी में पुस्तकें आदि।
- (2) ऐसी पुस्तकें जो सरल भाषा में और रोचक विषयों पर लिखी हों या सरल और लोक प्रिय मद्राचार पत्र, पत्रिकाएं आदि, जिनसे कर्मचारियों को हिंदी में पढ़ने लिखने की रुचि पैदा हो और वे सरल भाषा में बिना झिझक सरकारी कामकाज में हिंदी का प्रयोग कर सकें।
- (3) सरल और रोचक भाषा में लिखी गई पुस्तकें, पत्रिकाएं, रसाले आदि जिन्हें पढ़ कर हिंदी का कार्यसाधक ज्ञान प्राप्त करने वाले कर्मचारियों का ज्ञान बना रहे और वे समय के साथ इसे भूल न जाएं।
- (4) मंत्रालयों/विभागों, वैज्ञानिक एवं तकनीकी कार्यालयों में जहाँ वैज्ञानिक और तकनीकी प्रकार की हिंदी में पर्याप्त संख्या में पुस्तकें उपलब्ध नहीं हैं, वे निर्धारित लक्ष्य पूरा करने के लिए हिंदी की शब्दावलियों कार्यालयों सहायिका/संदर्भ ग्रंथ आदि को खरीदें।
- (5) विभिन्न मंत्रालयों/विभागों द्वारा चलाई जा रही मौलिक पुस्तक लेखन योजनाओं के अन्तर्गत पुरस्कृत और प्रकाशित पुस्तकें।

5. मंत्रालयों/विभागों आदि से अनुरोध है कि पुस्तकों की खरीद उक्त (1), (4), तथा (5) के अनुसार करें। किन्तु (2) तथा (3) के अंतर्गत साहित्य की खरीद के लिये पुस्तक चयन समिति द्वारा सूचियां उपलब्ध कराई जाएंगी। इस बीच, जबतक कि उपरोक्त सूचियां तैयार हों, मंत्रालयों/विभागों से अनुरोध है कि साहित्य संबंधी पुस्तकों की खरीद निम्नलिखित लेखकों की कृतियों तक ही सीमित रखी जाए:-

(क) (क) कालिदास, भवभूति, तथा बाणभट्ट के हिंदी में अनुदित ग्रंथ,

- (ख) रविन्द्र नाथ ठाकुर, सचिदानन्द राउतराय, तारा शंकर बंधोपाध्याय, बंकिम चन्द्र चट्टोपाध्याय, कामिल बुल्के, पन्ना लाल पटेल, तकपी शिवशंकर पिल्लै, मास्ति बेंकटेश अर्धंगार, कन्हैयालाल माणिकलाल मुंशी, विमल मित्र, शरत् चन्द्र चट्टोपाध्याय, डॉ० सुनीति कुमार चटर्जी, श्री राधा कुमुद मुखर्जी, एस० के० पोट्टेकाट, वीरेन्द्र कुमार भट्टाचार्य, के० शिवराम कारन्त, आशा पूर्णा देवी, गोपीनाथ महान्ती, दशरथ बेन्ने, विष्णु दे, कृष्ण चन्दर, अमृत प्रीतम, विश्वनाथ सत्यनारायण, रघुपति सहाय फिराक गोरखपुरी, कु० वु० पुटप्पा, उमाशंकर जोशी, जी शंकर कुरुप, आर० के० नारायण, वी० वा० शिरवाडकर "कुसुमाग्रज", गुलाब दास ब्रॉकर की हिंदी में अनुदित कृतियां।
- (ग) कबीर, सूरदास, गोस्वामी तुलसीदास, पलिक मोहम्मद जायसी, रहीम, रसखान, भारतेन्दु हरिश्चन्द्र, वालकृष्ण भट्ट, वालकृष्ण शर्मा "नवीन", मुंशी प्रेमचन्द, जय शंकर प्रसाद, सुभद्रा कुमारी चौहान, आचार्य रामचन्द्र शुक्ल, मैथिलीशरण गुप्त, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, सूर्यकान्त त्रिपाठी "निराला", सुमित्रानन्दन पंत, महादेवी वर्मा, रामधारी सिंह "दिनकर", सच्चिदानन्द हीरानन्द वात्स्यायन "अज्ञेय", जैनेन्द्र कुमार, भगवती चरण वर्मा, मोहन राकेश, अमृत लाल, नागर, रांगेय राघव, आचार्य चतुरसेन, आचार्य नन्द दुलारे वाजपेयी, सोहन लाल द्विवेदी, डॉ० लक्ष्मी नारायण मिश्र, गोविन्द वल्लभ पंत, जगज्जुन, डा० शंकर शेष, इलाचन्द्र जोशी, गजानन माधव मुक्तिबोध, फणीश्वर नाथ, "रेणु", वृन्दावन लाल वर्मा, वियोगी हरि, सेठ गोविन्द दास, यशपाल।

6. सभी मंत्रालयों/विभागों आदि से अनुरोध है कि वे उपर्युक्त अनुदेशों का अनुपालन करें तथा अपने सभी संबद्ध/अधीनस्थ कार्यालयों और केंद्रीय सरकार के स्वामित्व/नियंत्रणाधीन कम्पनियों/उपक्रमों/राष्ट्रीयकृत बैंकों आदि के ध्यान में ला दें और उनके सुनिश्चित अनुपालन के लिए निर्देश दें। इस संबंध में दिए गए अनुदेशों की एक प्रतिलिपि, कृपया इस विभाग को सूचनार्थ भेजने की व्यवस्था करें।

का०ज्ञ०सं० 20035/53/92-रा०भा० (अ० एवं वि०), दिनांक 17.7.1992

विषय:-सरकारी प्रकाशनों आदि का द्विभाषी रूप में प्रकाशन।

राजभाषा अधिनियम, 1963 की धारा 4 के अनुसरण में गठित संसदीय राजभाषा समिति के प्रतिवेदन खंड-4 में उपर्युक्त विषय में निम्नलिखित संस्तुति की गई है:-

"भारत सरकार के मंत्रालयों/विभागों/कार्यालयों/संगठनों आदि द्वारा केवल अंग्रेजी में ही नहीं बल्कि द्विभाषी रूप में ही प्रकाशन निकाले जाएं। हिंदी प्रकाशनों की मुद्रित संख्या अंग्रेजी प्रकाशनों की तुलना में कम न हो और द्विभाषिक प्रकाशनों में हिंदी के पृष्ठों की संख्या अंग्रेजी के पृष्ठों की संख्या से कम न हो और हिंदी में नए मौलिक प्रकाशन निकाले जाएं।

2. राजभाषा विभाग के दिनांक 28.1.92 के संकल्प सं०-12019/10/91-राजभाषा (भा०) के अनुसार समिति की उक्त संस्तुति स्वीकार कर ली गई है।

3. इस संबंध में उल्लेखनीय है कि राजभाषा नियम 1976 के नियम 11 में किए गए प्रावधान के अनुसार प्रक्रिया संबंधी सभी साहित्य हिंदी और अंग्रेजी में द्विभाषी (डिग्लॉट) रूप में यथास्थिति मुद्रित, साइक्लोस्टाइल और प्रकाशित किया जाना अपेक्षित है। इसके अतिरिक्त राजभाषा अधिनियम, 1963 (यथासंशोधित 1967) की धारा 3(3) में प्रावधान है कि सभी प्रशासनिक या अन्य प्रतिवेदन अनिवार्य रूप से हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में ही निकाले जाएं।

4. इस परिप्रेक्ष्य में कृपया संसदीय राजभाषा समिति का संस्तुति पर किए गए निर्णय का पूरी तरह अनुपालन सुनिश्चित किया जाए और आवश्यक जांच बिंदु भी निश्चित कर दिए जाएं ताकि राजभाषा अधिनियम की धारा 3(3) में उल्लिखित प्रकाशन डिग्लॉट फार्म में ही छपें और अन्य कोई भी प्रकाशन न तो केवल अंग्रेजी में प्रकाशित किया जाए और न ही उसके हिंदी रूप की मुद्रण संख्या अंग्रेजी रूप की मुद्रण संख्या से कम हो। ये आदेश कृपया अपने संबद्ध अधीनस्थ कार्यालयों/उपक्रमों/निगमों और आयोगों आदि को अनुपालन के लिए पृष्ठांकित कर दिए जाएं और इसकी जानकारी इस विभाग को भी भिजवाने की व्यवस्था की जाए।

का०ज्ञ०सं० 20034/53/92-रा०भा० (अ० एवं वि०), दिनांक 17.7.1992

विषय:-केंद्रीय सरकार के कार्यालयों में सहायक, संदर्भ साहित्य, शब्दावलिओं और शब्दकोशों आदि की व्यवस्था।

राजभाषा अधिनियम, 1963 की धारा 4 के अनुसरण में गठित संसदीय राजभाषा समिति के प्रतिवेदन खंड-4 [जिस पर दिनांक 28.1.1992 का संकल्प सं० 12019/10/91-रा०भा० (भा०) जारी किया गया है] में संस्तुति की गई है कि हिंदी में काम करने का वातावरण बनाने और राजभाषा हिंदी में मूल काम करने में उपलब्ध सहायक हिंदी पुस्तकों जैसे-अंग्रेजी-हिंदी और हिंदी-अंग्रेजी शब्दकोश, सहायक और संदर्भ साहित्य, तकनीकी शब्दावलिओं, तकनीकी साहित्य, ललित साहित्य तथा विविध विषयों पर बाजार में उपलब्ध इस प्रकार के साहित्य का पूरा प्रचार किया जाए और इनका निःशुल्क

प्रपत्र

- (i) विधा/विषय का नाम :
- (ii) पुस्तक का नाम :
- (iii) लेखक का नाम :
- (iv) क्या पुस्तक का पहला संस्करण 1.1.2025 से 31.12.2025 की अवधि में प्रकाशित किया गया ?
- (v) पुस्तक मूल रूप में हिंदी में लिखी गई है या हिंदी में अनूदित की गई है: _____
यदि अनूदित है तो :
(क) किस भाषा से अनूदित है :
(ख) अनुवादक(अनुवादकों) का नाम :
(ग) मूल लेखक(लेखकों) का नाम :
- (vi) पुस्तक का मूल्य :
- (vii) प्रकाशक का संपर्क विवरण :
(क) नाम :
(ख) कार्यालय का पता :
(ग) फैंक्स नंबर :
(घ) फोन/मोबाइल नंबर :
(ङ) ई-मेल आई डी :

घोषणा पत्र

- (क) मैं/हम प्रमाणित करता हूँ/करती हूँ/करते हैं कि यह मेरी/हमारी मौलिक रचना है अथवा मैं/हम प्रमाणित करता हूँ/करती हूँ/करते हैं कि यह मेरी/हमारी अनूदित रचना है।
- (ख) मैं/हम प्रमाणित करता हूँ/करती हूँ/करते हैं कि इस पुस्तक _____ (पुस्तक का नाम तथा लेखक के नाम का भी उल्लेख करें) में कोई भी राष्ट्र-विघटनकारी एवं देश-द्रोह-उन्मुखी तथा आतंकवाद व सांप्रदायिकता-उत्तेजक सामग्री नहीं है। मैं/हम यह भी प्रमाणित करता हूँ/करती हूँ/करते हैं कि इस पुस्तक में कोई राजनैतिक, भौगोलिक अथवा राजनयिक विवादास्पद तथ्य नहीं है।
- (ग) मैं/हम यह भी घोषणा करता हूँ/करती हूँ/करते हैं कि इस पुस्तक में प्रयुक्त भाषा मर्यादित, संयमित और शालीन है।
- (घ) मैं/हम यह भी घोषणा करता हूँ/करती हूँ/करते हैं कि सूची में शामिल करने के विचारार्थ भेजी जाने वाली पुस्तक/पुस्तकें दिनांक 01.01.2025 से 31.12.2025 के बीच प्रकाशित की गई है/हैं और यह पुस्तक/ये पुस्तकें किसी दूसरे नाम से अथवा किसी दूसरी प्रकाशन संस्था द्वारा प्रकाशित/मुद्रित नहीं की गई है/हैं।
- (ङ) मैं/हम यह भी घोषणा करता हूँ/करती हूँ/करते हैं कि मैं/हम _____ (यहाँ देश का नाम दें) का प्रवासी भारतीय/भारतीय मूल का व्यक्ति हूँ/हैं और मैं/हम संबंधित भारतीय दूतावास/उच्चायोग द्वारा इस आशय के लिए जारी प्रमाणीकरण प्रस्तुत करता हूँ/करती हूँ/करते हैं (यह प्रमाणीकरण प्रवासी भारतीय/भारतीयों/भारतीय मूल के व्यक्ति/व्यक्तियों द्वारा प्रस्तुत किया जाना अनिवार्य है)।

हस्ताक्षर.....

नाम.....

पता.....

.....

.....

.....

मोबाइल न.

No. 11014/11/2026 -Rajbhasha(Patrika)
Government of India/ Ministry of Home Affairs
Department of Official Language

NOTICE

**Preparation of the list of Hindi books marked by qualitative excellence published during
01.01.2025 to 31.12.2025 for circulation among the libraries of Ministries/
Departments/Organizations etc of Central Government.**

The Department of Official Language, Ministry of Home Affairs, circulates a list of Hindi books marked by qualitative excellence among Ministries/Depts/Organisation etc. of Central Government with the recommendation for the purchase by libraries. In continuation of the above-said practice, a list of Hindi books on various subjects published between 01.01.2025 and 31.12.2025 will be prepared and circulated by this Department.

2. The criteria prescribed for the evaluation of books for preparing the annual book list for libraries of Ministries/Departments/Organizations of the Central Government are available at Annexure-I and Annexure-II.
3. The entries of the outstanding books are invited from writers, publishers, printers and distributors.
4. Non-Resident Indians may submit their entries through Indian Embassy/Mission concerned. An advance copy may be sent directly to the Department of Official Language. However, it will be considered only after its receipt through the Indian Embassy/Mission.
5. Interested writers/publishers, printers and distributors must submit their entries with the information sought in the Performa and Declaration in Annexure-III along with one copy of the book at the address given below. Only entries published for the first time during 01.01.2025 to 31.12.2025 are eligible for consideration. The entry will not be considered in case of non-receipt of book along with prescribed proforma.
6. All the entries, filled in a complete and clear manner, are required to be submitted in hard and soft copies (entries received without soft copies in appropriate fonts will not be considered) to the following officer on or before **15.06.2026**. All entries are required to be submitted in Unicode-based font to: patrika-ol@nic.in.

Shri Rajesh Kumar Srivastav,
Joint Director (Patrika)
Ministry of Home Affairs, Deptt. of Official
Language, 4th floor, 'B' wing, NDCC-II Building,
Jai Singh Road, New Delhi-110001
E-mail ID : patrika-ol@nic.in
Website: www.rajbhasha.gov.in


(Rajesh Kumar Srivastav)
Joint Director (Patrika)
Telephone No. 23438159

Criteria prescribed for the evaluation of books for preparing the annual book list for libraries of Ministries/Departments/Organizations etc. of the Central Government.

- i. Certain publishers repeatedly bring out new editions of classical/timeless works; such books shall generally not be considered for selection. However, if the first edition of the same work has been published by another publisher, it may be considered for selection, provided the work has been published in its original form. The concerned publisher must also submit a certificate stating that no changes have been made to the original content of the work.
- ii. Under the poetry category, only those works of poets shall be selected whose names are mentioned in the Office Memorandum No. 20034/6/90-O.L. dated 5.3.1990 issued by the Department of Official Language (**Annexure-2**). In addition, narrative poetry (Khanda Kavya and Mahakavya) composed by other poets will also be considered for selection.
- iii. Keeping in view the specific requirements of offices located in non-Hindi-speaking regions simple, practical, and training-oriented useful books shall be selected.
- iv. Books whose subject matter remains relevant over a long period and which serve as useful reference material on a continuous basis shall be selected.
- v. Only those literary works shall be selected which are in conformity with Indian cultural values, constitutional propriety, and linguistic decorum; contribute to the healthy and positive development of the Hindi language; and are reasonably priced.
- vi. Books with titles or content that are controversial in any manner shall not be selected.
- vii. Only books published in the same year for which the book list is being prepared shall be considered.
- viii. Handwritten/typed manuscripts shall not be considered.
- ix. Textbooks shall not be considered.
- x. In the category of children's literature, only quality books shall be considered.
- xi. While selecting translated books, it shall be ensured that the name of the translator is clearly mentioned in the book.
- xii. A declaration is obtained with all books; however, if any information provided in the declaration is found to be incorrect, the concerned book shall be rejected.

CHAPTER-11

PURCHASE OF GOVT. PUBLICATIONS, HINDI MAGAZINES & HINDI BOOKS

O.M. No. 20034/6/90-O.L. (Patrika), dated 5.3.1990

Subject:— Purchase of Hindi Books in the libraries of Central Government Offices.

The undersigned is directed to invite attention to the Department of Official Language O.M. No. 11020/21/73-O.L. dated 19.6.1974 on above mentioned subject where-under instructions were issued to spend at least 25% of the library grant for purchase of Hindi Books for libraries in the Ministries/Dep'ts. Attached and Subordinate Offices of the Central Government/Banks. Undertakings etc. and to raise the limit to 50% if suitable books in Hindi on various subjects were available in the market. It was also suggested that the Hindi Officers might be co-opted as Member-Secretary to the Selection/Purchase Committee of the Libraries

2. List of Scientific, Technical and Literary Books published in Hindi have been issued by the Department of Official Language from time to time for the purpose of purchase of Hindi books in libraries of the Central Government Offices. The guidelines for the purchase of books have also been issued by this Department vide O.M. No. 20034/6/85-Patrika unit dated 4th May, 1988.

3. This has been brought to the notice of the Department of Official Language that some of the offices have purchased sub-standard books in the name of belles lettres as are not desired to be purchased for any library. The library grant is required to be utilized for purchase of only standard type of books. The Department has taken this matter very seriously and it has been decided that, so far as the question of purchase of belles lettres is concerned, lists of books will be supplied by the Department of Official Language from time to time to the Ministries/Departments/Offices etc. for purchase of standard books and that the purchase of belles lettres should be restricted to those lists only. Department of Official Language have constituted a Committee for this purpose, consisting of members from various departments, institutions connected with books and the literary persons. The list of books selected by the said committee will be made available to all the Ministries/Departments etc. as early as possible.

4. The Department of Official Language vide their O.M. dated 4th May, 1988 have given the instructions to purchase following types of books:—

- (1) Reference books for doing work in Hindi such as dictionaries, glossaries and Hindi books etc. relating to the subject concerning with the work of the department/office.
- (2) Books written on interesting subjects in simple language, simple and popular newspapers, magazines, journals etc.; so as to inspire an interest in the employees to read and write Hindi and to enable them to perform their official work in simple Hindi without any hesitation.
- (3) Books, magazines, journals etc. written in simple and interesting language, so that by reading them the employees, having working knowledge of Hindi, could maintain their knowledge and may not become out of touch with the passage of time.
- (4) In the Ministries/Departments where books in Hindi on scientific and technical subjects are not available in sufficient number, glossaries, Karyalaya Sahayika, reference books should be purchased to achieve the prescribed target.
- (5) The books awarded and published under the scheme for writing original books in Hindi, being run by various Ministries/Departments.

5. Ministries/Departments etc. are requested to purchase the books as per the above. (1), (4) and (5). But for the purchase of literature under (2) and (3), the lists of books will be made available by the Book Selection Committee. Meanwhile, till the lists of books are prepared by the Book Selection Committee, Ministries/Departments etc. are requested to restrict their purchase of literary books to the books of the following writers:—

- (A) Translated works of Kalidas, Bhavbhuti and Banbhhatt in Hindi.

(B) Translated books of Ravindra Nath Thakur, Sachidanand Raut Ray, Tara Shankar Bandyopadhyay, Bankim Chandra Chattopadhyay, Camil-Bulke, Pannalal Patel, Takshi Shivshankar Pillai, Maasti Venkatesh Ayangar, Kanhayalal, Maniklal Munshi, Vimal Mitra, Sharad Chandra Chattopadhyay, Dr. Suniti Kumar Chatterjee, Shri Radha Kumud Mukherjee, S.K. Pottakaal, Virendra Kumar Bhattacharya, K. Shiv Ram Kaarant, Asha Purna Devi, Gopinath Mahanti, D.R. Bendre, Vishnu Dey, Krishna Chander, Amrita Pritam, Vishvanath Satyanarayana, Raghupati Sahai, Firaque Gorakhpuri, K. V. Puttaapa, Umashankar Joshi, G. Shankar Kurup, R.K. Narayan, V.V. Shirwadkar "Kusumagraj", Gulaab Das Broker in Hindi.

(C) Kabeer, Surdas, Goswami Tulsidas, Malik Mohammad Jayasi, Rahim, Raskhan, Bhartendu 'Harischandra', Balkrishna Bhatt, Balkrishna Sharma 'Naveen', Munshi Premchand, Jai Shankar Prasad, Subhadra Kumari Chauhan, Acharya Ramchandra Shukla, Maithilisharan Gupta, Acharya Hajari Prasad Dwivedi, Suryakant Tripathy "Nirala", Sumitra Nandan Pant, Mahadevi Verma, Ramdhari Singh "Dinkar", Sachidanand Hiranand Vaatsayayan 'Ageay', Jainendra Kumar, Bhagwati Charan Verma, Mohan Rakesh, Amrit Lal Nagar, Raangey Raghav, Acharya Chatursen, Acharya Nand Dulare Vajpayee, Sohan Lal Dwivedi, Dr. Lakshmi Narayan Mishra, Govind Vallabh Pant, Nagarjuna, Dr. Shankar Shesh, Ila Chandra Joshi, Gajanan Madhav Muktibodh, Phanishwar Nath 'Renu', Vrindavan Lal Verma, Vijoyi Hari, Seth Govind Dass, Yashpal.

6. All the Ministries/Departments etc. are requested to comply with the above instructions and bring them to the notice of all their Attached/Subordinate Offices and Companies/Undertaking/Nationalised Banks owned or controlled by the Central Govt. and instruct them to ensure strict compliance of the same. A copy of instructions issued in this regard may be sent to this Department for information.

O.M. No. 20034/53/92-O.L. (R&A), dated 17.7.1992

Subject:— Publication of the Govt. Publications etc. in bilingual form.

The Committee of Parliament on Official Language constituted in pursuance of section-4 of the official Languages Act, 1963, have made the following recommendation in their Report (Volume-IV) on the above subject.

"The Ministries/Departments/Organisations etc. of the Govt. of India should not bring out publications in English alone but only in bilingual form. The number of printed Hindi publications should not be in any way less than the English ones and in the bilingual publications the number of pages for Hindi should not be less than that of English and new original publications may be brought out in Hindi.

2. As per the Resolution No. 12019/10/91-O.L. (Int.) dt. 28.1.1992, issued by the Department of Official Language, the recommendation of the committee has been accepted.

3. In this regard it is mentioned that according to the provision of Rule-11 of the Official Language. Rules, 1976, all procedural literature is required to be printed, cyclostyled and published as the case may be, both in Hindi and English in diglot form. Besides, under the provision of section 3(3) of the Official Languages Act, 1963 (as amended in 1967), all administrative and other reports should be brought out positively in both Hindi and English.

4. In this context, it may kindly be ensured that the decision taken on the recommendation of the Committee of Parliament on Official Language, is fully complied with and required check points be devised, so that publications mentioned under section 3(3) of the O.L. Act, are published in diglot form only and any other publication is neither published in English alone, nor the number of copies of the Hindi version is less than that of English one. These orders may kindly be endorsed to all the attached/subordinate offices, undertakings, corporations and commissions etc. for compliance and this Department may also be apprised of the action taken in the regard.

O.M. No. 20034/53/92-O.L. (R&A), dated 17.7.1992

Subject:— Arrangement for help reference Literature, glossaries and dictionaries etc. in the Central Govt. Office.

The Committee of Parliament on Official Language, constituted in pursuance of section-4 of the Official Languages Act, 1963, have recommended in its Report (Volume-IV), [Resolution on the report has been issued on 28.1.1992 vide No. 12019/10/91-O.L. (Int.)] that in order to create a conducive atmosphere for working in Hindi and to facilitate original work in Hindi, books such as English-Hindi and Hindi-English dictionaries, help and reference Literature, technical glossaries, technical literature, fine arts literature and other relevant literature available in the market on various subjects should be widely publicized and distributed free of cost. Besides, fifty per cent of the total grant, earmarked for the purchase of books, should be utilized for the purchase of books published in Hindi. The process of

Performa

- (i) Genre/theme :
- (ii) Name of book :
- (iii) Name of writer :
- (iv) Has the first edition of the book been published during the period from 01.01.2025 to 31.12.2025: _____
- (v) Whether the book has been written originally in Hindi or translated into Hindi: _____
- (vi) (if translated):
- (a) Translated from which language:
- (b) Name of the translator(s) :
- (c) Name of the original writer(s) :
- (vii) Price of the book :
- (viii) **Contact details of the publisher** :
- (a) Name :
- (b) Office address :
- (c) Fax number :
- (d) Phone/mobile no :
- (e) E-mail ID :

Declaration

- (a) I/We certify that it is my/our original creation **or** I/We certify that it is my/our translated work.
- (b) I/We certify that this book (also mention name of the books and name of the writer) does not contain any content which may instigate disintegration/sedition/terrorism/communalism. I/We also certify that there is no controversial statement/observation of political, geographical or diplomatic nature.
- (c) I/We declare that the language used in this book is marked by restraint, balance and modesty.
- (d) I/We also certify that the books being submitted for inclusion in the List have been published during 01.01.2025 to 31.12.2025, and this book/these books has/have not been published/printed in/by any other name or by/any other publication organization.
- (e) I/We also declare that I/We, residing in _____ (give name of the country here), are Overseas Indian/Person of Indian Origin, and I/We furnish certification issued to this effect by Indian Embassy/High Commission concerned. (This certification must be provided by Overseas Indian/Person of Indian Origin).

Signature.....

Name.....

Address.....

.....

.....

Mobile No.....